



## B – कौशल एवं अवसर

# छात्रवृत्ति सुविधा / जिला कल्याण कार्यालय

### यह संस्थान क्या है

यह एक भवन नहीं है – यह कार्यालयों की एक शृंखला है जिनसे होकर एक विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुति से वितरण तक यात्रा करता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक तथा Merit-cum-Means छात्रवृत्तियों के जिला नोडल हैं; पीएम यशस्वी (PM YASASVI – प्रधानमंत्री युवा अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना; अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) / विमुक्त जनजाति (DNT) के लिए) के लिए, जिला नोडल अधिकारी (DNO) की नियुक्ति राज्य नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है तथा पदनाम राज्य द्वारा निर्धारित होता है (राज्यों में जहाँ पृथक पिछड़ा वर्ग कल्याण (BCW) निदेशालय है, वहाँ सामान्यतः जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अन्यथा जिला कल्याण अधिकारी अथवा DSWO – जिला समाज कल्याण अधिकारी); राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के लिए, DNO की नियुक्ति राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है तथा पदनाम राज्य अनुसार बदलता है (UP में DIOS – जिला विद्यालय निरीक्षक; अनेक अन्य राज्यों में DEO – जिला शिक्षा अधिकारी); अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) PRAGATI (AICTE-अनुमोदित तकनीकी डिप्लोमा / डिग्री कार्यक्रमों में लड़की विद्यार्थियों के लिए) के लिए, संस्था-स्तर का सत्यापन Institute Nodal Officer (INO) द्वारा किया जाता है, जो सामान्यतः पॉलिटैक्निक अथवा इंजीनियरिंग संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा नामित कोई व्याख्याता अथवा विभागाध्यक्ष (HOD) होता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) [scholarships.gov.in](https://scholarships.gov.in) पर एकीकृत आवेदन प्रवेशद्वार है। विद्यार्थी पहले [scholarships.gov.in](https://scholarships.gov.in) पर अपने आधार अथवा आधार नामांकन ID का उपयोग करके 14-अंकीय One Time Registration (OTR) ID उत्पन्न करते हैं – शैक्षणिक वर्ष (AY) 2024-25 से सभी NSP आवेदकों के लिए अनिवार्य तथा विद्यार्थी के पूरे शैक्षणिक करियर के लिए वैध। OTR को किसी भी CSC (सामान्य सेवा केंद्र) पर भी प्रति उम्मीदवार 30 रुपये के निर्धारित शुल्क पर उत्पन्न किया जा सकता है। NSP तीन योजना प्रकार रखता है – केंद्रीय क्षेत्रक (100% केंद्र-वित्त-पोषित संबंधित मंत्रालय द्वारा), केंद्र-प्रायोजित (केंद्र एवं राज्य के बीच लागत-साझा), तथा राज्य छात्रवृत्तियाँ (राज्य-वित्त-पोषित, भागीदार राज्यों में आवेदकों को उपलब्ध)। आवेदन फिर संस्था-स्तर सत्यापन (L1 Institute Nodal Officer द्वारा), जिला-स्तर सत्यापन (L2 जिला नोडल अधिकारी द्वारा), तथा कुछ योजनाओं में राज्य अथवा मंत्रालय सत्यापन (L3) से होकर गुजरता है, फिर Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से आधार-लिंकड बैंक खाते में वितरण होता है। छात्रवृत्ति के पैसे की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थी के लिए, संबंधित जिला अथवा संस्था कार्यालय वह स्थान है जहाँ सत्यापन होता है।

### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आपने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तथा पैसा नहीं आया, अथवा यदि आपका आवेदन अस्वीकृत हो गया तथा आप कारण नहीं जानते, तो DSWO कार्यालय वह स्थान है जहाँ आपके दस्तावेजों का सत्यापन होता है। स्थिति-अद्यतन तथा शिकायत-समाधान के लिए यह संपर्क का कार्यालय है।

**प्रशासन**

कानून / नीति	दायरा
अनुसूचित जाति (SC) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, MoSJE)	परिव्यय के अनुसार सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना; केंद्र-प्रायोजित
अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए प्री-मैट्रिक / पोस्ट-मैट्रिक (जनजातीय कार्य मंत्रालय, MoTA)	जनजातीय विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति
OBC / अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक / पोस्ट-मैट्रिक	क्रमशः MoSJE तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) के अंतर्गत केंद्रीय छात्रवृत्तियाँ
केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति (उच्च शिक्षा विभाग, DoHE)	कक्षा 12 में 80वें प्रतिशतक से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए; पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये से कम; स्नातक स्तर पर 12,000-20,000 रुपये/वर्ष

- **केंद्र:** संबंधित केंद्रीय मंत्रालय (सामाजिक न्याय, जनजातीय कार्य, अल्पसंख्यक कार्य, उच्च शिक्षा)। केंद्रीय छात्रवृत्तियाँ 15+ मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित होती हैं (जिनमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL), गृह मंत्रालय (MHA), रेलवे, AICTE, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE), श्रम एवं रोजगार, MoSJE, MoTA, MoMA, DoHE के अतिरिक्त, सम्मिलित हैं)। पूरी सूची [scholarships.gov.in/All-Scholarships](http://scholarships.gov.in/All-Scholarships) पर
- **सत्यापन शृंखला:** L1 (संस्था में Institute Nodal Officer) → L2 (जिला नोडल अधिकारी अथवा कुछ योजनाओं में सीधे राज्य नोडल अधिकारी) → L3 (मंत्रालय नोडल अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी जहाँ योजना अपेक्षा करती है)। L2/L3 पदनाम योजना अनुसार बदलता है – NSP योजना-वार नोडल अधिकारी लोकेटर देखें
- **राज्य:** राज्य समाज कल्याण / जनजातीय कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
- **राज्य-स्तरीय निगरानी:** राज्य छात्रवृत्ति निगरानी समिति – सामान्यतः संबंधित कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में; आवेदन प्रसंस्करण, वितरण विलंब, DBT विफलताओं तथा शिकायत निवारण की त्रैमासिक समीक्षा करती है
- **जिला:** DSWO (जिला समाज कल्याण अधिकारी) / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
- **संस्था:** कॉलेज छात्रवृत्ति क्लर्क / नोडल अधिकारी (पहला सत्यापन)
- **वित्त-पोषण:** केंद्रीय छात्रवृत्तियाँ PFMS के माध्यम से; राज्य छात्रवृत्तियाँ राज्य बजट से

**प्रमुख पद**

पद	उत्तरदायित्व
जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO)	अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) छात्रवृत्ति सत्यापन के लिए मुख्य प्राधिकारी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति सत्यापन
योजना-विशिष्ट जिला नोडल अधिकारी	योजना तथा राज्य अनुसार बदलते हैं (उदा. अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कुछ राज्यों में NMMSS के लिए DIOS)। योजना-विशिष्ट संपर्क <a href="http://scholarships.gov.in/districtNodalOfficerDetails">scholarships.gov.in/districtNodalOfficerDetails</a> पर देखें
कॉलेज छात्रवृत्ति क्लर्क / Institute Nodal Officer (INO)	विद्यार्थी विवरण, अंकों तथा नामांकन का प्रथम सत्यापन
बैंक प्रबंधक (वितरण शाखा)	छात्रवृत्ति निधि DBT के माध्यम से विद्यार्थी बैंक खातों में स्थानांतरित



## अनिवार्य सेवाएँ

- SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का संसाधन करना
- ट्यूशन तथा रखरखाव भत्ते को कवर करने वाली पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का संसाधन करना
- कक्षा 12 में 80वें प्रतिशतक से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले तथा 4.5 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति का संसाधन करना
- राज्य-विशिष्ट छात्रवृत्तियों का संसाधन करना (राज्य अनुसार बदलती हैं)
- दस्तावेजों का सत्यापन: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, अंक-पत्र, संस्था सत्यापन फ़ॉर्म
- विद्यार्थी बैंक खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) का समन्वय करना
- विद्यार्थी प्रश्नों एवं शिकायत निवारण के लिए हेल्पडेस्क प्रदान करना

## संबंधित योजनाएँ

- **पोस्ट-मैट्रिक SC/ST/OBC छात्रवृत्तियाँ** – कक्षा 11 से आगे ट्यूशन तथा रखरखाव
- **प्री-मैट्रिक SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ** – कक्षा 1-10 के लिए वित्तीय सहायता
- **Merit-cum-Means छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक)** – व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सहायता
- **केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति** – 80वें प्रतिशतक से ऊपर, 4.5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए 12,000-20,000 रुपये/वर्ष
- **AICTE PRAGATI** – AICTE-अनुमोदित तकनीकी डिप्लोमा / डिग्री कार्यक्रमों में लड़की विद्यार्थी
- **टॉप क्लास छात्रवृत्तियाँ** – SC विद्यार्थियों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, DoSJE) तथा दिव्यांग विद्यार्थियों (DEPWD) के लिए
- **पीएम यशस्वी (PM YASASVI)** – OBC, EBC तथा DNT विद्यार्थियों के लिए टॉप-क्लास शिक्षा तथा प्री/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ
- **राज्य-विशिष्ट योजनाएँ** – उदा. गाँव की बेटी (मध्य प्रदेश, MP), कन्या उत्थान (बिहार), समेकित स्टाइपेंड (हरियाणा)

## पता कैसे लगाएँ

**पोर्टल:** [scholarships.gov.in](http://scholarships.gov.in) (NSP) एकीकृत प्रवेशद्वार है। मुख्य NSP लोकेटर एंडपॉइंट (URL की केसिंग ज्यों-की-त्यों रखें): जिला-वार नोडल अधिकारी [scholarships.gov.in/districtNodeOfficerDetails](http://scholarships.gov.in/districtNodeOfficerDetails) पर; पूरी छात्रवृत्ति सूची [scholarships.gov.in/All-Scholarships](http://scholarships.gov.in/All-Scholarships) पर; योजना-वार नोडल अधिकारी [scholarships.gov.in/nodeOfficerDetails](http://scholarships.gov.in/nodeOfficerDetails) पर; NSP पर पंजीकृत संस्थान [scholarships.gov.in/onlineInstituteSearchIndex](http://scholarships.gov.in/onlineInstituteSearchIndex) पर; पात्रता जाँच [scholarships.gov.in/scholarshipEligibility/](http://scholarships.gov.in/scholarshipEligibility/) पर। राज्य-वित्त-पोषित छात्रवृत्तियाँ राज्य समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण / शिक्षा विभाग निदेशालय द्वारा संचालित राज्य पोर्टलों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं – प्रत्येक राज्य का समकक्ष है। NSP पर न दिखने वाली केवल-राज्य योजनाओं के लिए "[राज्य का नाम] scholarship portal" खोजें अथवा राज्य निदेशालय की वेबसाइट देखें

**यह भी:** जिला कलेक्ट्रेट जाएँ – DSWO कार्यालय सामान्यतः भीतर अथवा निकट होता है; किसी भी सरकारी कॉलेज में छात्रवृत्ति सत्यापन कार्यालय के बारे में पूछें

## प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील DSWO कार्यालय में होना चाहिए: NSP आवेदनों को संसाधित करने के लिए इंटरनेट सहित कंप्यूटर, विद्यार्थी प्रश्नों के लिए एक काउंटर अथवा हेल्पडेस्क, वर्तमान छात्रवृत्ति योजनाओं, पात्रता मानदंडों एवं समय-सीमाओं को दर्शाने वाला प्रदर्शन बोर्ड, तथा वार्षिक आवेदन मात्रा को संभालने के लिए पर्याप्त स्टाफ़।

## एक क्रियाशील छात्रवृत्ति कार्यालय कैसा दिखता है

- वर्तमान चक्र के लिए छात्रवृत्ति आवेदन बहु-माह बैकलॉग के बिना संसाधित हो रहे हैं
- विद्यार्थियों के वॉक-इन प्रश्नों के लिए हेल्पडेस्क अथवा काउंटर परिचालन में है
- एक प्रदर्शन बोर्ड वर्तमान योजनाएँ, पात्रता तथा समय-सीमाएँ दर्शाता है
- सबसे आम अस्वीकृति कारण दर्ज हैं तथा आवेदकों को संप्रेषित किए जाते हैं
- DBT विफलताएँ (बैंक खाता समस्याओं के कारण लौटी निधि) सुधारी जा रही हैं
- कॉलेज-स्तर का सत्यापन वर्तमान है तथा जिला-स्तर के प्रसंस्करण को रोक नहीं रहा



## शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO), जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अथवा कॉलेज छात्रवृत्ति क्लर्क / नोडल अधिकारी होते हैं – योजना तथा सत्यापन चरण पर निर्भर।

**सेवा के बाद।** शिकायत राज्य समाज कल्याण / जनजातीय कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तक बढ़ाई जाती है। राज्य छात्रवृत्ति निगरानी समिति आवेदन बैकलॉग तथा वितरण विलंब की समीक्षा करती है।

**बाहरी।** [nsp.gov.in/grievanceregistration](http://nsp.gov.in/grievanceregistration) पर NSP शिकायत पोर्टल टिकट-शिकायतें स्वीकार करता है; हेल्पलाइन 0120-6619540; ईमेल [helpdesk@nsp.gov.in](mailto:helpdesk@nsp.gov.in)। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, [pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) संबंधित केंद्रीय मंत्रालय (MoSJE / MoTA / MoMA / DoHE) के विरुद्ध शिकायतों का संचालन करती है। DBT विफलताओं के लिए, Direct Benefit Transfer Mission एक शिकायत चैनल संचालित करता है। SC/ST अत्याचार-अधिनियम से जुड़ी कल्याण नकारियाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग के माध्यम से बढ़ाई जा सकती हैं।

—